

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 18.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
425	परि.ता.प्र.सं. 04 (क्र. 885) दि. 18.03.2015 (श्रीमती ममता मीना)	गुना जिले में इंदिरा आवास कुटीर एवं मुख्यमंत्री आवास के अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाना एवं हितग्राहियों को राशि उपलब्ध कराया जाना।	(1) इंदिरा आवास प्रगतिरत है जिन्हें शीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा। (2) हितग्राहियों को भेजने की राशि प्रक्रियाधीन है।		
426	परि.ता.प्र.सं. 20 (क्र. 2167) दि. 18.03.2015 (श्री रामपाल सिंह)	शहडोल जिले की जनपद पंचायत ब्यौहारी के ग्राम पंचायत साखी में मर्यादा अभियान की राशि नियम विरुद्ध व्यय की जांच एवं व्यय की गई राशि की वसूली की जाना।	दोषी सचिव को निलंबित किया गया है। दोषियों से राशि वसूली हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को लेख किया गया है।		
427	परि.ता.प्र.सं. 49 (क्र. 3265) दि. 18.03.2015 (श्री रामसिंह यादव)	कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अपूर्ण कार्यों को निश्चित समय सीमा में पूर्ण किया जाना।	मार्च, 2015 में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।		
428	परि.ता.प्र.सं. 52 (क्र. 3307) दि. 18.03.2015 (श्री रणजीतसिंह गुणवान)	सीहोर जिले की आष्ठा विधान सभा क्षेत्र में निर्मल भारत अभियान अंतर्गत शौचालय निर्माण में की गई अनियमितताओं के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	सूचना पत्र जारी किया गया। आगामी कार्यवाही प्रचलित है।		
429	परि.ता.प्र.सं. 61 (क्र. 3523) दि. 18.03.2015 (श्री कमलेश्वर पटेल)	सीधी जिले के विधान सभा क्षेत्र सिहावल में वाटर शेड परियोजना का सर्वे कराया जाना।	परियोजना स्वीकृति हेतु सर्वे की कार्यवाही प्रचलन में है।		
430	परि.ता.प्र.सं. 86 (क्र. 4033) दि. 18.03.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह (बना))	रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना छूटे हुये ग्रामों को जोड़ा जाना एवं प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्ताव में उल्लेखित सड़कों की स्वीकृति प्रदान की जाना।	(1) 2014-15 में 5 सड़कें चिन्हित की जाकर स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं। (2) स्वीकृत की कार्यवाही की जावेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 18.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
431	परि.ता.प्र.सं. 104 (क्र. 4458) दि. 18.03.2015 (श्री गिरीश गौतम)	मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र देव तालाब के अंतर्गत भवन हेतु हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराना।	स्वीकृति हेतु शेष प्रकरण बैंक शाखाओं में परीक्षण में प्रक्रियाधीन हैं।		
432	परि.ता.प्र.सं. 126 (क्र. 4774) दि. 18.03.2015 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	रीवा जिले की ग्राम पंचायत खटखरी के सरपंच/सचिव के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) जाँच की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) शिकायत की जाँच प्रचलन में है।		
433	परि.ता.प्र.सं. 138 (क्र. 5011) दि. 18.03.2015 (श्री दिनेश कुमार अहिरवार)	टीकमगढ़ जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पलेरा से टोरियाखेरा खास, लिधौरा से दिगौडा एवं चंदेरा से खुरमपुरा मार्ग का क्रस्ट उन्नयन किये जाना।	मार्गों का क्रस्ट उन्नयन करने हेतु कार्यवाही विचाराधीन है।		
434	परि.ता.प्र.सं. 141 (क्र. 5080) दि. 18.03.2015 (श्री गोवर्धन उपाध्याय)	विदिशा जिले में समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायत देहरी जागीर तथा सुल्तानपुर द्वारा दी गई राशि का उपयोग नहीं किये जाने पर राशि वापस लिया जाना।	वर्तमान में राशि वापस की कार्यवाही की जा रही है।		
435	अता.प्र.सं. 30 (क्र. 2656) दि. 18.03.2015 (श्री विजय सिंह सोलंकी)	जिला खरगोन के जनपद पंचायत भगवानपुरा में 13 वॉ वित्त परफारमेंस ग्रांट अंतर्गत खेल मैदान का चयन किया जाना।	खेल मैदान के स्थल चयन की कार्यवाही प्रचलित है।		
436	अता.प्र.सं. 31 (क्र. 2851) दि. 18.03.2015 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के लाहार एवं रौन विकासखण्ड में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत शेष ग्रामों को सड़कों से जोड़ा जाना एवं ग्राम पंचायत लारौल के ग्राम घुरावर तक की सड़क निर्माण की क्षतिग्रस्त सड़क का अनुमोदन अनुसार सुधार किया जाना तथा ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) सड़कों की स्वीकृति विचाराधीन है। (2) अनुबंधानुसार ठेकेदार से सुधार कराया जायेगा तथा ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 18.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
437	अता.प्र.सं. 104 (क्र. 4760) दि. 18.03.2015 (श्री अनिल जैन)	टीकमगढ़ जिले के विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी में बंद पड़े निर्माण कार्यों के लिये संबंधित ग्राम पंचायतों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	ग्राम पंचायतों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।		
438	अता.प्र.सं. 119 (क्र. 4943) दि. 18.03.2015 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	शाजापुर जिले की सुसनेर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पंच परमेश्वर योजना के तहत क्रय की गई सामग्री की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही।	प्रपत्र-ब के कॉलम नंबर 7 के अनुसार खरीदारी की जांच की जा रही है।		
439	अता.प्र.सं. 120 (क्र. 4980) दि. 18.03.2015 (प्रो. संजीव छोटेलाल उइके)	मण्डला में ग्रामीण सेवा यांत्रिकी द्वारा कराये गये पीस वर्क कार्यों की जांच एवं संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर को अनियमितता की विस्तृत जांच हेतु आदेशित किया जावेगा, अनियमितता पाये जाने पर गुण दोष के आधार पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही की जावेगी। जांच कार्य 02 माह में पूर्ण किया जावेगा।		
440	अता.प्र.सं. 121 (क्र. 4986) दि. 18.03.2015 (प्रो. संजीव छोटेलाल उइके)	मण्डला जिले के विकासखण्ड बिछिया के ग्राम मोचा के गंधार नाले पर स्लैब कल्वर्ट के घटिया निर्माण की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) संबंधितों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण विचाराधीन है। विस्तृत जांच कराई जाकर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (2) जांच प्रतिवेदन अनुसार गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		
441	अता.प्र.सं. 129 (क्र. 5177) दि. 18.03.2015 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले के जावरा एवं पिपलोद जनपद पंचायत अंतर्गत मुख्यमंत्री एवं इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को द्वितीय किशत की राशि जारी की जाना।	हितग्राहियों को द्वितीय किशत जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक 18.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
442	परि.ता.प्र.सं. 22 (क्र. 2255) दि. 18.03.2015 (श्रीमती इमरती देवी)	ग्वालियर जिले के डबरा एवं भितरवार विकासखण्ड में कृषि महोत्सव के दौरान मिट्टी के लिये गये नमूनों की जांच शीघ्र करायी जाना।	शेष नमूनों को प्रयोगशाला में भेजकर विश्लेषण प्रक्रियाधीन है।		
443	परि.ता.प्र.सं. 24 (क्र. 2289) दि. 18.03.2015 (श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया)	कृषि मंडी गुना की पुरानी गल्ला मंडी के सिधिया पार्क तथा कॉम्प्लेक्स क्षेत्र एवं सब्जी मंडी क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना एवं सफाई कार्य करवाना।	अतिक्रमण प्रशासन के सहयोग से हटाये जाने की कार्यवाही की जावेगी। सफाई कराने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।		
444	परि.ता.प्र.सं. 54 (क्र. 3389) दि. 18.03.2015 (श्री हर्ष यादव)	कृषि उपज मंडी समिति कटनी के सचिवों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	(1) सचिवों के विरुद्ध विभागीय जांच करने का निर्णय लिया गया है। कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। (2) विभागीय जांच करने का निर्णय लिया गया है।		
445	परि.ता.प्र.सं. 55 (क्र. 3390) दि. 18.03.2015 (श्री हर्ष यादव)	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला कटनी के जाति प्रमाण पत्र की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही किया जाना।	जांच के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		
446	परि.ता.प्र.सं. 62 (क्र. 3526) दि. 18.03.2015 (श्री कमलेश्वर पटेल)	राज्य में कृषि नीति शीघ्र बनाये जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
447	परि.ता.प्र.सं. 67 (क्र. 3663) दि. 18.03.2015 (श्री अशोक रोहाणी)	जबलपुर जिले में किसानों के कल्याण के लिये संचालित योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को अनुदान राशि का शीघ्र भुगतान किया जाना।	159 देयक लंबित हैं। भुगतान की कार्यवाही जारी है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक 18.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
448	परि.ता.प्र.सं. 72 (क्र. 3725) दि. 18.03.2015 (श्री मुकेश नायक)	प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत रबी 2013-14 एवं खरीफ 2014 में फसलों के हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति की राशि पीडित किसानों को दिया जाना।	रबी 2013-14 एवं खरीफ 2014 की क्षतिपूर्ति का गणना कार्य प्रक्रियाधीन है।		
449	परि.ता.प्र.सं. 88 (क्र. 4080) दि. 18.03.2015 (श्री इन्दर सिंह परमार)	राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अंतर्गत सचिव संवर्ग की पदोन्नति की जाना।	(1) कार्यरत सेवकों की पदोन्नतियों की कार्यवाही चरणबद्ध क्रम में (उच्च पद से निचले पद तक के लिये) प्रक्रियाधीन है। (2) चरणबद्ध क्रम में संवर्ग/वर्ग का पद की उपलब्धता के आधार पर प्रक्रियाधीन है।		
450	परि.ता.प्र.सं. 89 (क्र. 4102) दि. 18.03.2015 (श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया)	कृषि उपज मंडी समिति मुरैना एवं अम्बाह की आयोजित बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किये जाने की जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 08.03.2014 जारी किये गये हैं।		
451	परि.ता.प्र.सं. 98 (क्र. 4373) दि. 18.03.2015 (श्री निशंक कुमार जैन)	विदिशा जिले में बलराम तालाब योजना की स्वीकृति/निर्माण/अनुदान वितरण में अनियमितता किए जाने की शिकायत की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	(1) जांच प्रक्रियाधीन है। (2) शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन है। (3) दोषी कर्मचारी/अधिकारियों की विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।		
452	परि.ता.प्र.सं. 128 (क्र. 4835) दि. 18.03.2015 (श्री सूर्यप्रकाश मीना)	विदिशा जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2014 में फसलों के हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति की राशि पीडित किसानों को दिया जाना।	(1) दावा गणना कार्य प्रक्रियाधीन है। (2) दावा गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है।		
453	परि.ता.प्र.सं. 143 (क्र. 5088) दि. 18.03.2015 (श्री दिवानसिंह विट्टल पटेल)	खरगोन एवं बड़वानी जिले में कृषि महाविद्यालय खोला जाना।	बड़वानी एवं खरगोन में कृषि महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक 18.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
454	परि.ता.प्र.सं. 161 (क्र. 5274) दि. 18.03.2015 (श्री नारायण सिंह पँवार)	राजगढ़ जिले की कृषि उपज मंडी समिति ब्यावरा में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला हेतु आवश्यक संसाधनों/अमले की व्यवस्था किया जाना ।	अमले की व्यवस्था संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
455	अता.प्र.सं. 25 (क्र. 2453) दि. 18.03.2015 (श्री कुँवरजी कोठार)	राजगढ़ जिले के सांरगपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लायसेंस धारी व्यापारियों द्वारा मंडी टैक्स की चोरी एवं परिवहन किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना ।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षा उपरांत गुण-दोष के आधार पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी ।		
456	अता.प्र.सं. 68 (क्र. 4141) दि. 18.03.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर जिले में कृषकों के खेतों की मिट्टी के लिये गये सेम्पलों की जांच समय सीमा में कराया जाना ।	2356 मिट्टी नमूने परीक्षण हेतु लंबित हैं और जिन्हें दिनांक 30.06.2015 तक पूर्ण करा लिया जावेगा ।		
457	अता.प्र.सं. 83 (क्र. 4463) दि. 18.03.2015 (श्री तरुण भनोत)	कृषि उपज मंडी समिति कटनी में व्यापारिक फर्मों द्वारा आयात शुल्क की चोरी किये जाने की जांच एवं बकाया राशि की वसूली की जाना ।	जाँच प्रतिवेदन अनुसार बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

परिवहन विभाग

दिनांक 18.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
458	परि.ता.प्र.सं. 40 (क्र. 2875) दि. 18.03.2015 (श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी)	ईंधन के मूल्यों में कमी आने पर यात्री बस किराये में कमी की जाना ।	अंतिम निर्णय विचाराधीन है ।		
459	परि.ता.प्र.सं. 96 (क्र. 4346) दि. 18.03.2015 (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया)	जिला परियोजना कार्यालय का नवीन भवन मंदसौर शहर में स्वीकृत हो जाने के पश्चात भूमि चयन/आवंटन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण की जाना ।	(1) आवंटन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (2) ग्राम दौलतपुरा एवं जग्गाखेडी के निकट भूमि का चयन किया जाना प्रक्रियाधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

दिनांक 18.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
460	परि.ता.प्र.सं. 66 (क्र. 3558) दि. 18.03.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	शिवपुरी जिले में जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों को नवीन मानदेय का भुगतान किया जाना ।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
461	अता.प्र.सं. 45 (क्र. 3424) दि. 18.03.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	देवास जिले में जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ दिया जाना ।	173 व्यक्तियों के प्रकरण भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजने की कार्यवाही प्रचलित है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

सहकारिता विभाग

दिनांक 18.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
462	परि.ता.प्र.सं. 165 (क्र. 5315) दि. 18.03.2015 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	श्री जगदीश कोरकु, संविदा समिति प्रबंधक शाखा मुंगावली संस्था डोंगरा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	जांच प्रक्रियाधीन है।		
463	अता.प्र.सं. 61 (क्र. 3994) दि. 18.03.2015 (श्री मधु भगत)	सहकारिता विभाग के अंतर्गत लंबित न्यायिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु न्यायिक पदों का सृजन किया जाना।	नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
464	अता.प्र.सं. 85 (क्र. 4492) दि. 18.03.2015 (श्री प्रदीप अग्रवाल)	ग्वालियर संभाग के दतिया जिले में वर्गवार पंजीकृत परिसमापन सहकारी समितियों का आडिट नहीं कराने के लिये संबंधित दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाना एवं इन समितियों का आडिट कराया जाना।	अधिनियम की सक्षम धारा में कार्यवाही की जा रही है। अभिलेख प्राप्त कर आडिट कराने की कार्यवाही की जा रही है।		